

एस. एल.	तिथि	कार्यालय टिप्पणी, संख्या रिपोर्ट, आदेश या कार्यवाही या दिशाएँ और निबंधक के साथ आदेश हस्ताक्षर के साथ	न्यायालययान्यायाधीशकेआदेश
			<p><u>सिविल अवमानना याचिका संख्या 40 सन 2023</u>  <u>माननीय एस. के. मिश्रा, जे.</u>  याचिकाकर्ता के वकील श्री एस. एस. यादव।  आदेश दिनांकित 24.10.2018 के माध्यम से, यह देखा है कि शिकायतकर्ता की रिट याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई राहत नहीं दी गई थी। अलावा, 24.10.2018 को बर्खास्तगी का आदेश पारित गया है और समीक्षा आवेदन का निपटान भी 27.11.20 किया गया था और 16.2.2022 को अवमानना याचिका की गई है। इस प्रकार, न्यायालय की अवमानना अधिनियम की धारा 20 के अनुसार यह स्पष्ट रूप से सीमा द्वारा है। इसलिए, इस अवमानना याचिका को खारिज कर दिया जाता है क्योंकि यह पोषणीय नहीं है।</p> <p>(एस. के. मिश्रा, जे.)</p> <p>17.02.2023</p> <p>(नियमों के अनुसार तत्काल प्रमाणित प्रति प्रदान करें)</p> <p>रवि</p>